

बिहार अवनियमति नकिषेप स्कीम पाबंदी नयिमावली 2023 को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को बिहार मंत्रपरिषद की बैठक में बिहार अधनियमति नकिषेप स्कीम पाबंदी नयिमावली 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति के तहत बिहार में काम करने वाली चिटफंड कंपनियों की जाँच और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार को मिला गया है।
- राज्य की आम जनता और जमाकर्त्ताओं से अवैध जमा योजनाओं के माध्यम से धन जमा कराने पर ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिये राज्य सरकार ही सक्षम प्राधिकार बन गई है।
- कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य, सचिव डॉ. एस सन्दिधार्थ ने बताया कि कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पाबंदी नयिमावली 2023 के प्रावधान में जो लोग जमा स्कीम चलाते हैं, वह इसके अधीन हो जाएंगे।
- इस नयिमावली में बिहार सरकार को सक्षम प्राधिकार बनाया गया है। इससे राज्य सरकार जमा स्कीम चलानेवाली कंपनियों की जाँच करने, उनकी ऑडिट करने और अनियमतिता पाए जाने के बाद कार्रवाई करने की शक्ति मिल गई है।
- राज्य सरकार को उनकी संपत्ति जब्त करने और बेचने की सभी प्रक्रिया इस नयिमावली के तहत अपनायी जाएगी। राज्य में छोटे-छोटे जमा योजनाएँ चलाई जाती हैं, उनके खिलाफ इसके तहत कार्रवाई होगी।
- यह नयी नयिमावली आम जनता को अवैध जमा योजनाओं और धोखाधड़ी से बचाएगी। सरकार को आरोपीत के खिलाफ कड़ी सजा और भारी आर्थिक जुर्माना के साथ ही संपत्तियों की कुरकी कर नविशकों की जमा राशियों की वापसी या पुनर्भुगतान की शक्ति मिल गई है।
- विभिन्न स्तर के न्यायालयों में काम करने वाले सरकारी वकीलों का चयन अब राज्य स्तरीय चयन समिति करेगी। यह समिति महाधिवक्ता के अध्यक्षता में गठित होगी। इसमें वधि सचिव, वधि विभाग के वशिष सचिव या संयुक्त सचिव सदस्य होंगे।
- यह समिति जिला स्तर पर पीपी, जीपी, एपीपी एजीपी, हाइकोर्ट के लिये एडिशनल एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट एडवोकेट, प्लीडर, स्टैंडिंग काउंसिल पब्लिक प्रोसेक्यूटर और सुप्रीम कोर्ट के लिये एडिशनल एडवोकेट जनरल और स्टैंडिंग काउंसिल का चयन करेगी।
- कैबिनेट में इसके लिये बिहार वधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नयिमावली 2023 को स्वीकृत दे दी है।
- नयी नयिमावली में सरकारी वकीलों के प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर भी प्रावधान किया गया है।
- राज्य सरकार के वधि विभाग ने बिहार वधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नयिमावली 2023 के संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
- कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कोविड 19 और यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए वदिशों से मेडिकल ग्रेजुएट करने वाले वदियार्थियों को अब राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इंटरनशिप करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, ऐसे वदिश से ग्रेजुएट करनेवाले वदियार्थियों को नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के समरूप छात्रवृत्ति भी दी जाएगी।
- वदिशों से मेडिकल ग्रेजुएट करनेवाले छात्रों को इंटरनशिप की कुल सीटों में से 7.5 प्रतिशत सीटों पर इंटरनशिप करने का मौका मिलेगा।

एनएमसी के वदिश नरिदेशों के अनुसार स्टेट मेडिकल काउंसिल में नबिधन के क्रम में इंटरनशिप के लिये राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इंटरनशिप की सुवधि देना है। इसके लिये उन छात्रों से कोई राशियां शुल्क नहीं लिया जाएगा।